सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-366/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 13 सितम्बर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-देवगांव

देवगाँव पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्तो को 48 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार

दिनांक 11.09.2020 को वादी रामलाल उर्फ बबलू पुत्र रमाशंकर निवासी अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाना पर मु.अ.स. 206/2020 धारा 147/302/201/34/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. विवेक राजभर पुत्र गुलाब राजभर उम्र 19 वर्ष 2. अरविन्द राजभर पुत्र कल्पनाथ राजभर उम्र 50 वर्ष 3. अभिलाष राजभर पुत्र स्व0 रामधारी राजभर उम्र 40 वर्ष निवासीगण अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ 4. रवि राजभर पुत्र फूलचन्द राजभर उम्र 20 वर्ष निवासी मुरादपुर थाना तरवाँ आजमगढ़ 5. सुष्मिता पुत्री अभिलाष निवासी अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ ने योजना बनाकर सुष्मिता के सहारे चुकिं मृतक सागर सुष्मिता से प्यार करता था जिसे घर वालों को नागवार गुजरा तथा गांव घर से बेज्जती महसुस हो रही थी इस कारण उपरोक्त अभियुक्तो द्वारा सुष्मिता के सहारे योजना बद्ध तरीके से अभियुक्त विवेक के द्वारा मृतक को सिवान में बुलाकर व शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को मोटरसाईकिल पर रख कर गांगी नदी ग्राम परसोना थाना मेहनाजपुर में पड़ता है शव को छुपाने के उद्देश्य से नदी में फेंक दिया एक दिन बाद शव नदी मे बरामद हुआ जो मृतक सागर की थी इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 206/2020 धारा 147/302/201/34/120बी भादवि बनाम अमित उर्फ गोलू आदि 06 नफर अभियुक्त पंजीकृत है। **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिये गये थे जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में पुलिस द्वारा कई टीमे बनाकर लगातार दबिश दी जा रही थी कि मुखविर खास द्वारा सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त के नामित अभियुक्तगण बुढ़ऊबाबा पेट्रोलपंप पर किसी वाहन का इंतजार कर रहे है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर अभियुक्तगण को समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. विवेक राजभर पुत्र गुलाब राजभर उम्र 19 वर्ष
2. अरविन्द राजभर पुत्र कल्पनाथ राजभर उम्र 50 वर्ष
3. अभिलाष राजभर पुत्र स्व0 रामधारी राजभर उम्र 40 वर्ष निवासीगण अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगांव आजमगढ़
4. रवि राजभर पुत्र फूलचन्द राजभर उम्र 20 वर्ष निवासी मुरादपुर थाना तरवाँ आजमगढ़
5. सुष्मिता पुत्री अभिलाष निवासी अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगाँव आजमगढ़

फरार अभियुक्तगण

1. अमित उर्फ गोलू पुत्र अरविन्द निवासी अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगाँव आजमगढ़
2. सूजीत राजभर पुत्र स्व0 सूरमन निवासी सतमेसरा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 206/2020 धारा 147/302/201/34/120बी भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना देवगाँव आजमगढ़

2- का0 गोविन सिंहथाना देवगाँव आजमगढ़

3- का0 सतीश सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़

4- हे0का0 आशुतोष यादव थाना देवगाँव आजमगढ़

5-म0का0 पूजा कुशवाहा थाना देवगाँव आजमगढ़

6- रि0म0का0 जया त्रिपाठी थाना देवगाँव आजमगढ़